न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 25/2023

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

श्री सुशील कुमार पुत्र श्री सुगनाराम
मैसर्स श्री श्याम डेयरी, ढाणी रोड, वार्ड नम्बर 03, गांधीनगर, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

अभिभाषक : श्री महावीर सिंह लखावत, श्री प्रभु गुर्जर अप्रार्थीगण की ओर से

—: आदेश :—

दिनांक— 07.08.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर तत्समय ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) मिक्सड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.01.2023 को 11::30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स श्री श्याम डेयरी, ढाणी रोड, वार्ड नम्बर 03, गांधी नगर, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री श्री सुशील कुमार मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एल्यूमिनियम की टंकी में लगभग 20 लीटर मिक्सड दूध आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर ([illegible]) अजमेर

मिक्सड दूध कीं गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 02लीटर, 110/-
रूपयें श्री सुशील कुमार को नगद देकर गवाह श्री घनश्याम सिंह के समक्ष क्रय किया
जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट
तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सुशील कुमार को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की।
खरीदशुदा मिक्सड दूध को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में
500 मिली) में भरकर, प्रत्येक नमूना बोतल में 40–40 बूंद फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक
बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने
के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–3607 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद
लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की
6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति
के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला,
अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक
लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक
प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना
मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग
डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वासय अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद
प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित
अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/3281 दिनांक 15.03.2023 के
अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/18/एक्ट/2023/45
दिनांक 17.01.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया मिक्सड दूध
अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने
समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 13.06.2023 को
प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 13.06.2023 को दर्ज
रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा
मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी
की ओर से वकील श्री महावीर सिंह लखावत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

नियत पेशी का वकील अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब
प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर पेश करने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही किया।
न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद अवलोकन किया
गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि
अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया मिक्सड दूध अवमानक (सब
स्टेण्ड़र्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक,
अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया मिक्सड दूध अवमानक (सब
स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री सुशील कुमार खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के
तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त
अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित
किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया
है; अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में
इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए
अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी
द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु. **10,000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र)** शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 07.08.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री सुशील कुमार पुत्र श्री सुगनाराम, मैसर्स श्री श्याम डेयरी, ढाणी रोड, वार्ड नम्बर 03, गांधीनगर, मदनगंज किशनगढ़, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर